3.7

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—44/2021 राजस्व वाद

श्री महिपाल पिता शांतिलाल जैन जाति महाजन उम्र 60 वर्ष पेशा खेती/पेन्शनर निवासी पाडली गुजरेश्वर तहसील झौथरी पाल जिला डूँगरपुर

— वादी

बनाम

1 राजेन्द्र पिता शांतिलाल जैन जाति महाजन उम्र 62 वर्ष पेशा खेती/पेन्शनर निवासी पाडली गुजरेश्वर तहसील झौथरी पाल जिला डूँगरपुर हाल एलआईसी ऑफिस के पास नई बस्ती डूँगरपुर।

2 भरतलाल पिता शांतिलाल जैन जाति महाजन उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी पाडली गुजरेश्वर तहसील झौथरी पाल जिला डूँगरपुर।

3 शान्तिलाल पिता धनराज जी जैन जाति महाजन उम्र 80 वर्ष पेशा खेती/पेन्शनर निवासी पाडली गुजरेश्वर तहसील झौथरी पाल जिला डूँगरपुर

4 श्री मान् लेण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा सहखातेदार दर्ज कराने एवम् स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने बाबत् अर्न्तगत धारा 88,188,209 रा. का. अधिनियम

उपस्थितः—

अधिवक्ता वादी श्री मनीष कलाल।
अधिवक्ता प्रतिवादी श्री नरेश जोशी प्रतिवादी सं. एक की ओर से।
श्री श्रीकान्त जैन प्रतिवादी सं. दो की ओर से।
प्रतिवादी सं. 4 राजकीय पेरोकार स्वयं।

::निर्णय:: दिनांक 24.07.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा इस आशय का वाद न्यायालय मे पेश किया की गॉव पाडली गुजरेश्वर के जमाबंदी खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 510 का कुल रकबा 0.0970 हैक्टेयर भूमि है जो वादी के पिता शांतिलाल द्वारा कय की थी जो वादी के बडे भाई राजेन्द्र जो उस समय नाबालिग था का नाम दस्तावेज विक्रय पत्र मे दर्ज है। उक्त भूमि श्री शांतिलाल जी ने कय की थी। जिसका बटवारा कर दिया गया तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। इसी अनुसार काबिज हैं। अन्य तथ्यों का अंकन करते हुए खसरा नम्बर 510 मे 1/3 सहखातेदारश्काश्तकार घोषित किया जाए की मांग करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

प्रकरण मे मुकदमा दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी भरतलाल द्वारा जवाब पेश कर वादी के वाद को समग्र रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवाद पत्र पेश किया और बडी हास्यापद बात है कि प्रतिवादी भरतलाल

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रतिवादी होते हुए प्रतिवादी राजेन्द्र के खिलाफ दादरसी की मांग करते हुए सहखातेदार घोषित करने की मांग कर दी जबकि यह किसी प्रकार से संभव नही है क्योंकि प्रतिवादी राजेन्द्र प्रतिवादी भरतलाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद का जवाब नही दे सकता है, इसलिए प्रतिवाद किसी प्रकार से चलने योग्य नही है और प्रतिवादी भरतलाल की मांग पूर्ण रूप से अस्वीकार की जाती है और प्रतिवाद पत्र को खारीज किया जाना उचित पाया जाता है।

प्रतिवादी राजेन्द्र द्वारा दिनांक 22.7.2021 को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थनापत्र पेश किया तथा उल्लेखित किया गया कि वाद कारण की उत्पत्ति का स्पष्ट अभिवचन नही किए जाने से वाद खारिज योग्य है तथा उसके प्रतिउत्तर मे वादी द्वारा अपना जवाब पेश कर निष्पादन के समय से वाद हेतुक उत्पन्न होने का कथन करते हुए उल्लेखित किया की प्रतिवादी सं. एक की नियत मे खोट आ गई है इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रतिवादी राजेन्द्र द्वारा अपना जवाब पेश करते हुए उल्लेखित किया की प्रतिवादी राजेन्द्र खसरा नम्बर 510 का एक मात्र खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा ना तो इन्द्रज दुरूस्ती का वाद पेश किया है और ना विक्रय पत्र को निरस्त करने का वाद, सीधे ही खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहता है। प्रतिवादी राजेन्द्र अपने पिता को उनके व्यापार मे सहयोग करता था फलस्वरूप प्रतिवादी राजेन्द्र को तनख्वाह नही दी जाती थी । मेहनत की जो धनराशी बनती थी उस धनराशी का उपयोग कर प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम से संपति को कय किया गया है तथा प्रतिवादी राजेन्द्र का भूमि पर कब्जा है। 47 साल बाद यह वाद पेश किया गया है।श्शांतिलाल जी की मृत्यु हो चुकी है एवं अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए वादी का वाद खारीज करने निवेदन किया ।

दौराने वाद दिनांक 3.7.2024 को प्रतिवादी भरतलाल द्वारा ऑर्डर 1 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश कर उल्लेखित किया की शांतिलाल जी की मृत्यु ढाई वर्ष पुर्व हो चुकी है तथा पुत्री मंजुला है जिसको पक्षकार बनाया जाए। वादी द्वारा जवाब नही प्रस्तुत कर प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किए जाने निवेदन किया गया ।

हमारे द्वारा प्रतिवादी सं. एक के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. तथा प्रतिवादी सं. दो के प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 जा.दी.पर बहस सुनी गई ।

वकील वादी का जहॉ कथन है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.का प्रार्थना पत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह गलत प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादी द्वारा वादी को भूमि नही दी जा रही है इसलिए वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी राजेन्द्र प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.का कथन है कि संपूर्ण वाद के अध्ययन से किस दिनांक को वाद कारण पैदा हुआ का कोई अंकन नही है तथा वादी का यह कथन की प्रतिवादी द्वारा भूमि नही दी जा रही है। उस बात् का अंकन भी वाद मे नही है तथा पैतृक भूमि होने का कोई रेकार्ड पेश नही किया है । बटवारा किस दिनांक को हुआ उसका कोई कागज पेश नही किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया गया। यह सत्य है कि वादी द्वारा अपने सम्पूर्ण वाद मे किस दिनांक को वाद कारण पैदा हुआ का स्पष्ट कोई अंकन नही किया है और वादी का यह कथन की प्रतिवादी द्वारा भूमि नही दी जा रही है उस बात का अंकन भी वाद मे नही है। मेरी विनम्र राय मे प्रतिवादी राजेन्द्र भूमि का खातेदार काश्तकार है, खातेदार होने से उसका भूमि पर कब्जा होना सिद्ध तथ्य है तथा उसके कब्जे मे रूकावट पैदा करने का वादी या अन्य को कोई अधिकार नही है। इस वाद के बने रहने से प्रतिवादी राजेन्द्र के अधिकारों और काश्त कार्य मे स्पष्ट रूप से रूकावट पैदा होगी, तथा सम्पूर्ण वाद मे बटवारा किस दिनांक को हुआ उसका भी कोई अंकन वाद मे नही है जो बटवारा नामा की फोटो कापी पेश हुई है उसमे वाद ग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर का हवाला नही है साथ ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम पर आई है। उपरोक्त विक्रय पत्र निरस्त किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है और ऐसी परिस्थति मे चाहे वादी या प्रतिवादी भरतलाल खातेदार काश्तकार घोषित भी नही किए जा सकते क्योंकि जब तक विक्रय पत्र का अस्तित्व है यह सहायता प्रदान नही की जा सकती है। इन सब मतों के अनुसार प्रतिवादी राजेन्द्र का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार योग्य पाता हू तथा वादी का वाद खारीज किया जाना उचित समझता हु।

इसी प्रकार प्रतिवादी सं. दो के प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 जा.दी. जिस पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की, लेकिन बड़ी हास्यापद बात है कि वादी स्वयं के पिता जो इस प्रकरण मे पक्षकार है उनकी मृत्यु के ढाई वर्ष तक वादी या प्रतिवादी किसी के द्वारा न्यायालय को सूचित करना उचित नही समझा जबकि पिता शांतिलाल कोई गैर व्यक्ति नही था, जिसकी जानकारी वादी या प्रतिवादगण को नही हो और दुसरी तरफ मेरे विनम्र मत मे श्रीमति मंजुला पक्षकार बनने योग्य भी नही है क्योंकि जो संपति जिसके लिए वर्तमान मे वादी द्वारा वाद पेश किया गया है वह संपति प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम पर है इसलिए भी मंजुला का इस संपति मे कोई हित निहित नही है तथा ढाई वर्ष तक सूचना नही देना और अब ढाई वर्ष पश्चात् पक्षकार बनाने प्रार्थनापत्र देना मात्र प्रकरण को लम्बित करने का ही मंतव्य साबित होता है। इसलिए प्रतिवादी सं. दो के प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 जा.दी को खारिज किया जाना उचित समझता हु।

::आदेश::

प्रतिवादी सं. दो के प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 जा.दी को अस्वीकार कर खारीज किया जाता है तथा प्रतिवादी राजेन्द्र का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner